फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री कजोड   विपक्षी :– गणेश

केस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.   पत्रावली संख्या : 47 / 20

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.11.2021 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प महुडा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय विपक्षी सं. 1, 2 उपस्थित। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया जिससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। –: **आदेश** :– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डिंगरकिया पटवार हल्का महुडा की आराजी नम्बर 648 किता 1 रकबा 6 बिस्वा भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 17.11.21 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे। निर्णय सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested